



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-27122025-268843
CG-UP-E-27122025-268843

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5766]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2025/पौष 2, 1947

No. 5766]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2025/PAUSHA 2, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 16 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5963(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं संशोधन अधिनियम 2008 (2008 का 11) जिसे इसमें इसके पक्षत उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा (20 ए के खंड 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोज करते हुए यह समाधान हो जाने के पक्षत की लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इसमें उपापद अनुसूची में दिया गया है। राजस्थान राज्य के अलवर जिले में आगरा फोर्ट बांदीकुई दोहरीकरण परियोजना - विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में तारीख 28 मार्च 2025 एवं 29 मार्च 2025 को प्रकाशित किया गया था।

उक्त गाँव में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुये थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये हैं।

और उक्त अधिनियम की धारा-0 उपधारा) ई की 201 (के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा- की 20 0 उपधारा)1द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये (, यह घोषणा करती है कि इस में उपाब (अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए, अर्जित की जायेगी।

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-02 उपधारा) ई की 20) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाब (अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जायेगी

अनुसूची							
राजस्थान राज्य में आगरा/बांदीकुई के मध्य दोहरीकरण परियोजना के लिए जिले अलवर के लक्ष्मणगढ तहसील में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।							
क्र० सं०	तहसील का नाम	गांव का नाम	गाटा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकृति	अर्जित भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भू / स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लक्ष्मणगढ	भीखाहेडी खुर्द	638	गै. मु.खाई	सार्वजनिक	0.0160	सार्वजनिक निर्माण विभाग
			639	गै.मु.सडक	सार्वजनिक	0.0110	सार्वजनिक निर्माण विभाग
			640	गै.मु.खाई	सार्वजनिक	0.0113	सार्वजनिक निर्माण विभाग
			641	चरागाह	सार्वजनिक	0.1090	राजकीय चरागाह
					योग	0.1473	

[फा. सं. एनसीआर/(एलएनडी)एचक्यूथून्यसीईएनजी-6/2024-ओ कम्प्यूटर संख्या:) एजीसी/एक-कन्स्ट्रक्शन/ओ डिप्टी चीफ इंजी/114142)

हिमांशु गोस्वामी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 16th December, 2025

S.O. 5963(E).—In exercise of the powers conferred by sub – section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) & Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, “**Agra Fort-Bandikui Doubling Project**” in District Alwar in the state of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land.

Any whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “ Dainik Bhaskar” and Rajasthan Patrika” dated 29 March 2025 and 28 March 2025 under sub section (4) of Section 20A of the said ACT.

Any whereas, in this village no objection were received and competent Authority have passed the orders accordingly.

Any whereas, in pursuance of sub section 20 E of the said Act, the competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE							
Brief description of the land to be acquired with or without structure, for the Special Railway Project, Namely, Agra Fort-Bandikui Doubling Project in District Alwar in the state of Rajasthan.							
SN	Tehsil Name	Village Name	Plot No	Type of land	Nature of land	Acquired Area in Hect.	Land Owner/Beneficiary Name
1.	Laxmangarh	Bhikhahedi Khurd	638	Gai.mu.khai	Govt	0.0160	Govt. Construction Department
			639	Gai.mu.Road	Govt	0.0110	Govt. Construction Department
			640	Gai.mu.khai	Govt	0.0113	Govt. Construction Department
			641	Charagah	Govt	0.1090	Rajakiya charagah
					Total	0.1473	

[F. No. NCR-HQ0CENG(LAND)/6/2024 O/o Dy. CE/C-I/AGC (Computer No. 114142)]

HIMANSHU GOSWAMI, Chief Administrative Officer/Const.